(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या - 180 नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 की 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, हार्बर मोबाइल क्रेनों (एचएमसी) के उपयोग के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने हेतु विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को एतत् द्वारा निपटाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/56/2008-वीपीटी

विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास ------- **आवेदन**

आ दे श

(जून 2010 के 16 वें दिन पारित किया गया)

यह प्रकरण, वैस्ट क्वे बर्थ्स और वीपीटी की अन्य बर्थो पर 100 टन क्षमता वाली हार्बर मोबाइल क्रेनों (एचएमसी) के किराया प्रभारों के निर्धारण हेतु विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 5 दिसंबर 2008 से संबंधित है ।

2.1 प्रस्ताव में समाविष्ट मुख्य बातें संक्षेप में निम्नानुसार हैं :-

(i) वीपीटी के न्यासी मंडल ने 7 अप्रैल 2007 को हुई अपनी बैठक में 5 वर्ष की अवधि के लिए, 24 घंटों के लिए प्रचालन और अनुरक्षण कर्मचारियों सहित 100 टन क्षमता वाली दो हार्बर मोबाइल क्रेनों (एचएमसी) के किराए के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। तदनुसार प्राप्त निविदाओं के मूल्यांकन के बाद वीपीटी ने पांच वर्ष की अवधि के लिए 24 घंटों के प्रचालन और अनुरक्षण कर्मचारियों समेत, 100 टन क्षमता वाली दो हार्बर मोबाइल क्रेनों को किराए पर लेने के लिए उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मेसर्स एबीजी इन्फ्रालाजिस्टिक्स लिमि. के पक्ष में दिनांक 23 जुलाई 2008 का कार्य आदेश रखा है।

(ii) पत्तन द्वारा मेसर्स एबीजी इन्फ्रालॉजिस्टिक्स पर रखे गए कार्य आदेश की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई है :-

(क) किराया प्रभार न्यूनतम 10 लाख टन प्रतिक्रेन प्रतिवर्ष के लिए भुगतान किया जाएगा बशर्ते, जैसाकि अनुबंध की कार्य-परिधि में अनुबंधित है, क्रेन को उपलब्ध करवाया जाए। किन्तु, न्यूनतम गारंटी यातायात समानुपातिक आधार पर कम किया जाएगा, यदि क्रेन अनुबंधानुसार उपलब्ध नहीं करवायी जाती है।

(ख) 2 हार्बर मोबाइल क्रेनों के लिए किराया प्रभार आरंभिक 3 वर्ष की अवधि के लिए रू. 29.75 प्रतिटन होंगे और बाकी के 2 वर्षों के लिए, 4 थे वर्ष के लिए रू. 30.75 प्रतिटन और 5 वें वर्ष के लिए रू. 31.75 प्रतिटन की दर से नवीकृत किए जाएंगे। करों का भुगतान इसके अलावा करना होगा।

(ग) बोलीदाता को क्रेन के प्रचालन के दौरान 10,000 टन प्रतिक्रेन प्रतिदिन की माल ढुलाई का आश्वासन देना चाहिए।

(घ) यदि बोलीदाता आश्वस्त माल ढुलाई से कम प्रहस्तन करता है तो माल ढुलाई में कमी के लिए कोकिंग कोल के पोतघाट शुल्क दर के 25% की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

(ङ) यदि बोलीदाता आश्वस्त माल ढुलाई से अधिक प्रहस्तन करता है तो जितनी मात्रा आश्वस्त माल ढुलाई से ज्यादा होगी उस पर कोकिंग कोल के पोतघाट शुल्क दर के 10% की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।

(iii) पत्तन द्वारा मेसर्स एबीजी इन्फ्रालाजिस्टिक्स लिमिटेड को शुष्क बल्क कार्गो और सामान्य कार्गो के प्रहस्तन के लिए सुविधाएं प्रदान करती हैं, और इन कार्गो प्रहस्तन प्रचालनों को 24 घंटे और पूरे वर्ष भर प्रबोधन करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए पत्तन को, एकमात्र हार्बर मोबाइल क्रेन प्रचालकों को अनुमेय, लागू होने वाले अभियांत्रिकी और प्रबंधन उपरिव्यय के अलावा, तीनों पालियों में निष्पादनता का प्रबोधन करने के लिए और स्टीवेडर्स और उपयोगकर्त्ताओं के साथ संपर्क के लिए पर्यवेक्षी कर्मचारियों के साथ-साथ अधिकारियों को भी तैनात करना होगा। प्रस्तावित दरों की गणना करते समय इनकी लागत पर विचार किया गया है।

(iv) प्रस्तावित दरों को उचित ठहराने के लिए संक्षेप में लागत गणना नीचे दी गई है :

क्रम सं.	**विवरण**	**20 लाख टन न्यूनतम गारंटीड माल ढुलाई की लागत (रू . में)**	**लागत प्रतिटन (रू . में)**
(क)	पूंजी लागत	जैसाकि मोबाइल क्रेनें किराए पर ली गई है, विचार नहीं किया गया	
(ख)	स्थिर लागत (आरओसीई और मूल्य हास)	शून्य	शून्य
(ग)	परिवर्तनीय लागतें		
(i)	प्रहस्तित 20 लाख टन कार्गो का किराया प्रभार	59500,000	29.75
(ii)	20 लाख टन के आश्वस्त कार्गो से अधिक प्रहस्तित कार्गो में गिरावट नियंत्रित करने के लिए जोखिम अवयव ऊपर (i) पर 10% की दर से		2.98
(iii)	तैनाती और वसूली के प्रबोधन हेतु टीएम विभाग के कर्मचारियों की लागत	5031479	2.52
(iv)	ऊपर (iii)पर 31.82% की दर से एमजीए लागत		0.80
(v)	हार्बर मोबाइल क्रेन प्रचालनों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सामान्य सुविधाओं पर अभियांत्रिकी उपरिव्यय	4150200	2.10
	योग (ग)		**38.14**
(vi)	रू . 39.75 पर 4% की दर से संपत्ति कर		1.59
(vii)	लागत प्रतिटन प्रति क्रेन		39.73
(घ)	**प्रस्तावित दर (पूर्ण रू पयों में बदलने के बाद)**		**39.73**

(v) 27 अक्तूबर 2008 और 21 नवंबर 2008 को व्यापार जगत के साथ आयोजित बैठकों में परामर्श करने के बाद वीपीटी ने हार्बर मोबाइल क्रेनें किराए पर लेने के लिए रू. 39.75 प्रतिटन की तदर्थ दर प्रस्तावित की है। पत्तन ने बताया कि प्रस्तावित तदर्थ दर महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा फाइनल दर की अधिसूचना के बाद पिछले प्रभाव से लागू की जाएगी। व्यापार-जगत के प्रतिनिधियों ने उनके प्रति सहमति व्यक्त की है। 27 अक्तूबर 2008 को व्यापार-जगत के साथ बैठक के कार्यवृत की प्रति पत्तन द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(vi) प्रस्तावित दर आरंभ में दो वर्ष के लिए है और क्रेन के निष्पादन के आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

2.2 इस पृष्ठभूमि में, वीपीटी ने रू.39.75 प्रतिटन की दर पर बल्क कार्गो को पोत से उतारने / पोत-लदान के लिए 100 टन क्षमता वाली हार्बर मोबाइल क्रेनों की आपूर्ति के लिए प्रस्तावित किराया-प्रभार प्रस्तावित किया है।

3.1 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.17.3 के अनुसार अन्तरिम अवधि में प्रचालित की जाने वाली तदर्थ दरें समान कार्गो / सेवाओं के लिए वर्तमान अधिसूचित दरों पर आधारित होनी चाहिए और इस पर पत्तन और संबंधित उपयोगकर्त्ताओं की परस्पर सहमति होनी चाहिए।

3.2 वीपीटी द्वारा प्रस्तावित दर समान सेवाओं / कार्गो के लिए वर्तमान अधिसूचित दर पर नहीं पाई गई थी। हालांकि पत्तन ने बताया है कि प्रस्तावित दर व्यापार जगत के साथ विचार विमर्श के बाद परिगणित की गई है और व्यापार-जगत ने उससे सहमति व्यक्त कर दी है, वीपीटी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न 21 नवंबर 2008 की बैठक के कार्यवृत से यह समझ आता है कि विशाखापत्तनम् स्टीवेडर्स एसोसिएशन और विशाखापत्तनम् कस्टम्स क्लीयरिंग एजेन्ट्स एसोसिएशन ने पत्तन से, वीपीटी द्वारा इससे पहले सुझाई गई रू. 45/- प्रतिटन के मुकाबले रू. 35/- प्रतिमीटरिक टन या उससे कम तय करने का अनुरोध किया है।

3.3 उपरोक्त स्थिति से वीपीटी को, प्रस्ताव की प्राप्ति सूचना देते हुए, दिनांक 1 जनवरी 2009 के हमारे पत्र द्वारा अवगत करवाया गया था। वीपीटी को यह भी सलाह दी गई थी कि वह प्राधिकरण द्वारा फाइनल दरें तय किए जाने तक, अन्तरिम अवधि में तदर्थ आधार पर प्रस्तावित शुल्क लगाने के लिए संबंधित उपयोगकर्त्ताओं की सहमति प्रस्तुत करे। प्रत्युत्तर में वीपीटी ने दिनांक 12 फरवरी 2009 के अपने पत्र के माध्यम से निम्नलिखित बताया :-

(i) प्राधिकरण ने वीएसपीएल में एचएमसी (एमएचसी) की सहायता से बल्क कार्गो के प्रहस्तन के लिए रू. 64/- प्रतिटन की दर अधिसूचित की है जबकि एमएचसी के साथ समतुल्य सेवाओं / कार्गो के लिए प्रस्तावित दर रू. 39.75 प्रतिटन ही है।

(ii) वीपीटी ने रू. 45.50 प्रतिटन की दर प्रस्तावित की है जिस पर व्यापार जगत सहमत नहीं हुआ है और उसने वीपीटी से दर को एक तर्क संगत स्तर पर जो रू. 35/- प्रतिटन से अधिक न हो, निर्धारित करने का अनुरोध किया है। वीपीटी ने 21 नवंबर 2008 को बुलाई गई बैठक में व्यापार जगत के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और रू.39.75 प्रतिटन पर तदर्थ दर तय करना प्रस्तावित किया और, जो दर अंतिम रूप से प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित की जाएगी, पिछले प्रभाव से लागू की जाएगी, जिसके लिए व्यापार-जगत के प्रतिनिधि सहमत हो गए।

तदनुसार, 6 दिसंबर 2008 को एक ट्रेड-सर्कुलर जारी किया गया था और वह दर लागू किया जा रहा है।

(iii) इसने प्राधिकरण से, व्यापार-जगत को विधिवत सूचित करते हुए, रू .39.75 प्रतिटन की दर को अनुमोदित और अधिसूचित करने का अनुरोध किया है।

4.1 प्रदत्त परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, वीपीटी से प्राप्त पत्तन द्वारा सुझाए गये समेत संबंधित उपयोगकर्त्ताओं संगठनों / निकायों को, उनकी टिप्पणियां मांगते हुए भेजा गया था।

4.2 संबंधित उपयोगकर्त्ताओं संगठनों से प्राप्त टिप्पणियां प्रतिपूरक सूचना के रू प में वीपीटी को भेजी गई थीं। वीपीटी ने उपयोगकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों का जवाब दिया है।

5.1 इस प्रकरण में 22 अक्तूबर 2009 को वीपीटी परिसर में संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया था। संयुक्त सुनवाई में वीपीटी और संबंधित उपयोगकर्त्ताओं / संगठन निकायों ने अपने-अपने पक्ष रखे।

5.2 जैसाकि संयुक्त सुनवाई में निर्णय लिया गया था, वीपीटी को कुछ बिंदुओं पर कार्रवाई करने की सलाह दी गई थी। वीपीटी ने दिनांक 21 नवंबर 2009 और 11 दिसंबर 2009 के अपने पत्रों द्वारा उत्तर दिया है। संयुक्त सुनवाई में निर्णित कार्रवाई बिंदुओं और वीपीटी के उत्तर की तुलनात्मक स्थिति नीचे सारणी में दी गई है :-

क्रम सं.	संयुक्त सुनवाई में निर्णित कार्रवाई बिंदु	वीपीटी का उत्तर
(i)	किसी ऐसे कारण से जिसके लिए उपयोगकर्त्ता जिम्मेदार हो, क्रेन को अपेक्षा से कम उपयोग से बचाने के लिए न्यूनतम प्रहस्तन शर्त लागू करने हेतु वीपीटी का प्रस्ताव अपने मूल प्रस्ताव का भाग नहीं बनता है। अतः वीपीटी को सलाह दी जाती है कि वह प्रस्तावित व्यवस्था का पूरा-पूरा औचित्य बताते हुए इस संबंध में एक औपचारिक पूरक प्रस्ताव दाखिल करे। प्राधिकरण को औपचारिक पूरक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए, उसी समय यह प्रस्ताव सभी संबंधित उपयोगकर्त्ताओं को उस समय से सात दिन का समय देते हुए परिपत्रित कर दिया जाए ताकि वे प्राधिकरण और वीपीटी को अपनी राय भेज सके।	(क) संदर्भित अनुबंध / क़रार की धारा 9 (II) (i) और (ii) के अनुसार क्रेनों के आपूर्तिकर्त्ता को क्रेनों के प्रचालन के समय 10,000 टन प्रतिदिन प्रति क्रेन की माल ढुलाई आश्वस्त करनी चाहिए, और यदि प्रहस्तन आश्वस्त माल ढुलाई से कम है तो आश्वस्त माल ढुलाई में आई कमी के लिए प्रतिटन पर कोकिंग कोल के पोतघाट शुल्क दर के 25% की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। संदर्भित अनुबंध की धारा 9 (III) और 9 (IV) में खराबियों की मात्रा / सीमा और उनसे संबंधित जुर्माना समाविष्ट किया गया है। जुर्माने की यह राशि आपूर्तिकर्त्ता पत्तन न्यास को अदा करेगा।
		(ख) हार्बर मोबाइल क्रेंनों का उपयोग करने वाले पोतों की निष्पादनता की समीक्षा करने पर, बाद में पाया गया कि क्रेनों को किराए पर लेने वालों के विभिन्न कारणों से एमएमसी की निष्पादनता नीचे आ गई थी। अब घटिया निष्पादनता के लिए किराए पर लेने वाले की कोई देनदारी या जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि किराए पर लेने वाले द्वारा दी जा रही दर, समय के अवयव पर

		विचार किए बिना, प्रतिटन आधार पर है। किराए पर लेने वाले की उन गतिविधियों पर, जो एचएमसी की निष्पादनता पर बुरा असर डाले, अंकुश लगाने का कोई वैध उपकरण नहीं है। इस बारे में पत्तन ने वे कारण प्रस्तुत किए हैं जो एमएमसी की निष्पादनता पर बुरा प्रभाव डालते हैं और पोतों के वापिस लौटने के समय पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ-साथ एचएमसी का उपयोग भी अपेक्षा से कम होता है।
		(ग) न्यूनतम टन-मात्रा का प्रहस्तन निर्धारित करने हेतु औपचारिक पूरक प्रस्ताव दाखिल करने के प्रयोजन से 5 नवंबर 2009 को व्यापार-जगत के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। पत्तन ने, एक पोत के लिए एचएमसी उपलब्ध करवाने के समय से उसे रद्द करने के समय तक, औसत आधार पर बल्क कार्गो के लिए 500 टन प्रति घंटा और ब्रेक बल्क कार्गो के लिए 500 टन प्रतिघंटा और ब्रेक बल्क कार्गो के लिए 200 टन प्रतिघंटा की न्यूनतम प्रहस्तन दर प्रस्तावित की है। किन्तु, व्यापार-जगत ने बल्क कार्गो के लिए 350 टन प्रतिघंटा की न्यूनतम प्रहस्तन दर का सुझाव दिया और चूंकि कार्गो की प्रकृति पर निर्भर करते हुए सामान्य / बल्क कार्गो की उत्पादकता बदल जाती है, कोई न्यूनतम प्रहस्तन दर तय नहीं की गई।
		(घ) उपस्थित व्यापार-जगत के उपस्थित सदस्यों द्वारा व्यक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए और उपयोगकर्त्ताओं द्वारा एचएमसी के श्रेष्ठ उपयोग को संभव बनाने के लिए निम्नानुसार न्यूनतम टन मात्रा प्रहस्तन हेतु तय करना प्रस्तावित किया जाता है : (i)बल्क कार्गोज़ = औसतन 500 टन प्रतिघंटा (ii)ब्रेक बल्क कार्गोज = औसतन 200 प्रतिघंटा
(ii)	गणना में जिन विभिन्न उपरिव्यय तत्वों पर विचार किया गया है उनका पिछले 3 वर्षो के वास्तविकों के प्रकाश में औचित्य सिद्ध किया जाए। यह भी साबित किया जाए कि ये उपरिव्यय हार्बर मोबाइल क्रेनों के प्रचालन के प्रसंग वश वृद्धिकारी हैं।	(क) यह बताया जाता है कि एमजीए की गणना के लिए पिछले तीन वर्षों के वास्तविकों पर विचार किया गया था और औसतन एमजीए व्यय 31.04% परिगणित होते हैं। एमजीए उपरिव्यय लागत परिगणित करते समय भण्डारण व्यय, चिकित्सा व्यय, श्रम कल्याण व्यय प्रबंधन और सचिवालयीन व्यय शामिल नहीं किए गए थे क्योंकि कथित क्रेनों का प्रचालन और अनुरक्षण क्रेनों के आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जाता है। अतएव, इस प्रस्ताव में प्रभाजित एमजीए उपरिव्यय की प्रतिशतता अन्य प्रशुल्क प्रस्तावों से भिन्न है। इस संबंध में प्रस्तुत लागत विवरणी के अनुसार 2007-08 से 2008-09 तक एमजीए प्रचालन व्यय क्रमशः 24.26%, 32.49% और 36.39% परिगणित होता है। इस दृष्टि से, एमजीए की

		गणना के लिए औसत 31.04 % मानी गई है।
		(ख) हार्बर मोबाइल क्रेनों के प्रचालन के प्रसंगवश वृद्धिकारी लागत के संबंध में इसने बताया है कि पत्तन ने कंक्रीट वाले भाग पर परत चढ़ाने और कर्ब वाल्स की मरम्मत पर व्यय वहन किया है। ये व्यय प्रत्येक 3 वर्ष के लिए किए जाने पर विचार किया गया है क्योंकि हार्बर मोबाइल क्रेनों की हलचल से बर्थ में अधिक टूट-फूट होती है। इन मदों पर अनुमानित व्यय नीचे दिया गया है :- रू. <table><tr><td>कंक्रीट वाले भाग पर पुनः परत चढ़ाने और कर्ब वाल्स की मरम्मत, अनुमानित लागत / 3 वर्ष के लिए अर्थात (1,33,11,068/3)</td><td>=</td><td>रू.44,37,022</td></tr><tr><td>जोड़े : विद्युत अनुरक्षण</td><td>=</td><td>रू. 24,000</td></tr><tr><td>कुल व्यय प्रतिवर्ष</td><td>=</td><td>रू. 44,61,022</td></tr></table> अतः प्रतिवर्ष कम से कम 20,000,00 टन माल ढुलाई (टनेज़) का प्रहस्तन करने के लिए सामान्य सुविधाओं पर अभियांत्रिकी उपरिव्यय रू. 2.23 प्रतिटन लिया गया है।
(iii)	अग्रिम मूल्य निर्धारण के बारे में वैज़ाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वीसीपीएल) द्वारा उठाए गए मुद्दों का अविलम्ब उत्तर दिया जाना चाहिए।	वीपीटी ने इस पर अपनी टिप्पणी नहीं दी है।

5.3 तद्नुसार, पत्तन ने संशोधित लागत पत्रक प्रस्तुत किया है। पिछले लागत विवरण की तुलना में संशोधित लागत विवरण में वीपीटी द्वारा किए गए मुख्य फेरबदल नीचे दिए गए हैं :-

(i) एमजीए लागत कर्मचारी लागत के 31.82% की बजाय 31.04% ली गई है,

(ii) अभियांत्रिकी उपरिव्यय रू. 41,50,200/- के बजाय रू. 44,61,022/- लिया गया है।

(iii) पत्तन ने, पहले संपत्तिकर प्रस्तावित दर के 4% की दर से लिया था। पत्तन ने संपत्ति कर परिवर्तित कर दिया है और अब उस पर रू. 1.53 प्रतिटन की कुल परिवर्तनीय लागत पर 4% की दर से विचार किया गया है।

5.4 दिनांक 15 दिसंबर 2008 के अपने प्रस्ताव के साथ, इससे पहले, वीपीटी द्वारा दाखिल किए गए लागत विवरण और संयुक्त सुनवाई के बाद दाखिल किए गए लागत विवरण की तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शायी गई है :-

क्रम सं.	ब्यौरा		लागत विवरण के अनुसार लागत स्थिति			
			दि. 15.12.2008		दि. 11.12.2009	
			20 लाख टन के न्यूनतम गारंटीड माल ढुलाई के लिए लागत (रू .में)	प्रतिटन लागत (रू . में)	20 लाख टन के न्यूनतम गारंटीड माल ढुलाई के लिए लागत (रू .में)	प्रतिटन लागत (रू . में)
(क)	**पूंजी लागत**		जैसाकि मोबाइल क्रेने किराए पर ली गई हैं इस पर विचार नहीं किया गया			
(ख)	**स्थिर लागत** (आरओसीईई और मूल्य हास)					
(ग)	**परिवर्तनीय लागत**					
	(i)	प्रहस्तित 20,00,000 टन कार्गो के लिए किराया प्रभार	59500000	29.75	59500000	29.75
	(ii)	20 लाख टन के आश्वस्त कार्गो से अधिक प्रहस्तित कार्गो में गिरावट नियंत्रित करने के लिए जोखिम अवयव, ऊपर (i) पर 10% की दर से		2.98		2.98
	(iii)	तैनाती और वसूली के प्रबोधन हेतु टीएम विभाग के कर्मचारियों की लागत	5031479	2.52	5031479	2.52
	(iv)	ऊपर (iii) पर **31.82% / 31.04%** की दर से एमजीए लागत		0.80		0.78
	(v)	हार्बर मोबाइल क्रेनों के प्रचालनों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए साामान्य सुविधाओं पर अभियांत्रिकी उपरिव्यय	4150200	2.10	4461023	2.23
	योग (ग)			**38.14**		**38.25**
	(vi)	संपत्ति कर @ 4%		1.59		1.53
	(vii)	लागत प्रतिटन प्रतिक्रेन		39.73		39.78
(घ)	**प्रस्तावित दर (पूर्ण रू पयों में बदलने के बाद)**			**39.75**		**39.75**

जैसाकि उपरोक्त तुलनात्मक स्थिति से देखा जा सकता है, वीपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रतिटन लागत में कोई परिवर्तन नहीं है।

6. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित प्रक्रिया इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड पर उपलब्ध है। प्राप्त टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा दिए तर्को के सारांश संबंधित / प्रासंगिक पक्षसें को अलग से भेजे जाएंगे। ये ब्यौरे हमारे वैबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

7. इस प्रकरण पर कार्रवाई के दौरान एकत्रित सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

(i) विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास (वीपीटी) ने ड्राई बल्क कार्गो और ब्रेक बल्क कार्गो के प्रहस्तन के लिए कथित तौर पर स्पर्धात्मक निविदा आधार परएक निजी प्रचालक से रू. 29.75 प्रतिटन की दर पर 100 टन प्रत्येक की क्षमता वाली दो हार्बर मोबाइल क्रेनें (एचएचसी) 5 वर्ष की अवधि के लिए किराए पर ली हैं। क्रेन के उपयोग कर्त्ताओं से रू. 39.75 प्रतिटन की दर से वसूल किया जाने का प्रस्ताव है जिसमें से निविदा दर रू. 29.75 प्रतिटन क्रेन को किराए पर लेने के लिए अदा किया जाएगा और शेष बची रू. 10.00 प्रतिटन की राशि उपरिव्ययों की भरवाई के लिए वीपीटी द्वारा रखी जाएगी। वीपीटी ने अपने व्यापार-जगत परिपत्र दिनांक 6 दिसंबर 2008 के माध्यम से तदर्थ आधार पर रू. 39.75 प्रतिटन की दर लगानी आरंभ कर दी है।

(ii) इस प्रकरण में वीपीटी द्वारा अभिकल्पित व्यवस्था किसी निजी प्रचालक को क्रेनों के प्रचालन के लिए सीधा अधिकार प्रदान नहीं कर रही है। वत्तन ने क्रेनें किराए पर ली हैं और सेवाएं प्रदान करने के लिए यह उपयोगकर्त्ताओं के प्रति उत्तरदायी रहेगा और तदनुसार उन पर, प्राप्त की गई सेवाओं के लिए प्रभार लगाएगा। साफ-साफ या दो टूक शब्दों में कहा जाए तो सारी कवायद पत्तन द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए न कि किसी प्राधिकृत सेवा प्रदाता के लिए, 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 7 के अंतर्गत प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए है।

(iii) पत्तन द्वारा प्रशुल्क, इसके द्वारा देय किराया प्रभार को लागत का अवयव मानकर प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ-साथ, पत्तन ने प्रस्तावित दर की गणना करने के लिए उपरिव्यय किस्म की विभिन्न लागत मदों और करों को जोड़ने का भी अनुरोध किया है जबकि पत्तन ने क्रेन आपूर्तिकर्त्ता को आश्वस्त की गई न्यूनतम माल ढुलाई को अर्जित न कर पाने के जोखिम को समाहित /नियंत्रित करने के लिए प्रावधान शामिल करने का ध्यान रखा है। किन्तु पत्तन ने उपयोगकर्त्ताओं को न्यूनतम उत्पादकता स्तर बरकरार रखने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया है, हालांकि उसने ऐसा आश्वासन क्रेन आपूर्तिकर्त्ता से ले लिया है।

जैसाकि इस आदेश के आरंभिक भाग में वर्णित तथ्यात्मक स्थिति में व्यक्त किया गया है, प्रस्तावित किराया प्रभार निविदा मार्ग का अनुसरण करने के बाद प्राप्त एक प्रस्ताव पर आधारित है। यदि एचएमसी के किराया प्रभारों के निर्धारण के लिए निविदा दर पर विचार किया जाता है तो इस अर्थ किसी विशेष क्रेन के संबंध में दर निर्धारित करना हो सकता है। कुछ समय बाद अपेक्षित यातायात का सामना करने के लिए यदि पत्तन को वाणिज्यिक तौर पर कुछ और अतिरिक्त क्रेनों को लगाने की आवश्यकता लगे तो इन क्रेनों के लिए अलग प्रशुल्क निर्धारित करने की आवश्यकता होगी। इससे उपयोगकर्त्ताओं की विसंगतिपूर्ण स्थिति हो जाएगी, उन्हें केवल इसलिए समान सुविधा के लिए अलग-अलग दरें अदा करनी होंगी क्योंकि क्रेनों को अलग-अलग समय पर और अलग-अलग परिस्थितियों के अन्तर्गत शामिल किया गया है। अतः केवल एक विशेष आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा दर के आधार पर दर प्रदान करने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इस प्रकार विकसित राजस्व मॉडल, वैसी ही सेवाओं के लिए एक अन्य

क्रेन के मामले में जरु री नहीं है, उपयुक्त होगा अतएव, मानक क्षमता और एचएमसी प्रचालित करने की मानदंडीय लागत पर आधारित उच्चतम दर परिगणित करना उपयुक्त पाया गया है।

(iv) वीपीटी में क्रेन के प्रभार अपेक्षाकृत कम होने के कारण वीएसपीटीएल का यातायात वीपीटी की ओर मुड़ जाने की वजह से वीएसपीटीएल की आपत्ति सामने आयी है। इस प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि वीपीटी स्पर्धा में आगे निकलने के लिए बहुत पुराने (जीवघातक) मूल्य उपयोग करता है। एचएमसी (क्रेनों) को शामिल करने के लिए वीपीटी द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया पारदर्शी है और इस का प्रस्ताव हालांकि यह प्राधिकरण मानदंडीय दृष्टिकोण अधिक पसंद करता हे, इसकी लागतों और उपरिव्ययों को समाहित करना चाहता है। यहां यह नोट करने योग्य है कि वीएसपीएल स्थित एचएमसी के लिए वर्तमान प्रशुल्क एकल आधार (स्टैंड अलोन बेसिस) पर तय नहीं किया गया था बल्कि टर्मिनल के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता आधार पर तय किया गया था। वीएसपीएल के लिए यह विकल्प खुला है कि वह गतिविधिवार लागत के आधार पर वर्तमान प्रशुल्क मदों में आवश्यक समायोजन प्रस्तावित करे।

(v) पाारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) में यद्यपि पत्तन द्वारा प्राधिकृत विभिन्न क्रेन सेवा प्रदाताओं द्वारा अलग-अलग क्षमताओं वाली एचएमसी / एमएचसी (हार्बर मोबाइल क्रेने / मोबाइल हार्बर क्रेनें) तैनात की गई हैं, एमएचसी के किराया प्रभार निर्धारित करने के प्रयोजन से पीपीटी ने 100 टन क्षमता की एमएचसी के लिए ग्रहित कुछ मानदण्डों और परिमापकों पर आधारित अपना प्रस्ताव तैयार किया था और इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30 दिसंबर 2009 के आदेश के माध्यम से मानदंडीय आधार पर किराया प्रभार निर्धारित किया गया था। तूतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) ने भी दिनांक 30 दिसंबर 2009 के आदेश के माध्यम से, 100 टन क्षमता वाली एमएचसी के लिए मानदंडीय आधार पर किराया प्रभार निर्धारित किया था।

(vi) चूंकि उद्देश्य एमएचसी के प्रचालन के लिए उच्चतम दरें प्रदान करना है प्रशुल्क निर्धारण कुछ मानदंडों और परिमापकों पर आधारित होना चाहिए। मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.4.1 भी पत्तन प्रचालनों के प्रत्येक अवयव की मानदंडीय लागत विकसित करने की मांग करती है। चूंकि मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.4.1 के अन्तर्गत मानदंडों का अलग सैट विकसित नहीं किया गय है, वीपीटी पर हार्बर मोबाइल क्रेन के प्रचालन की मानक लागत पर आधारित प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए 2008 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों में प्रदत्त मानदंड अपनाना उपयुक्त पाया गया। संयोगवश पीपीटी और टीपीटी में एमएचसी के उपयोग के लिए प्रशुल्क तय करने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा यही दृष्टिकोण अपनाया गया था।

(vii) अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण के लिए 2008 के मार्गदर्शी कोयला, लौह अयस्क और कंटेनर प्रहस्तन जैसी समर्पित सुविधाओं के लिए प्रहस्तन मानदंड / मार्गदर्शी प्रदान करते हैं। इसके अलावा, मार्गदर्शी / प्रहस्तन मानदंड बहुउद्देशीय कार्गो टर्मिनल के लिए भी, जिनमें शुष्क बल्क कार्गो और ब्रेक बल्क कार्गो भी समाहित है, प्रदत्त हैं। ये पत्तन की प्रस्तुति की तैनात की जाने वाली क्रेनें बल्क और ब्रेक बल्क कार्गो का प्रहस्तन करेंगी, पर आधारित इस प्रकरण में प्रासंगिक पाए गए हैं।

विभिन्न प्रकार के कार्गो को क्षमता के आबंटित किए जा सकने वाले भाग पर सूचना के अभाव में, डीपीटी और पीपीटी के मामलों में अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुसार कार्गो समूहों यथा, शुष्क बल्क कार्गो और ब्रेक बल्क कार्गो के लिए 2008 के मार्गदर्शियों में अलग-अलग कार्गो समूहों के

लिए प्रदत्त प्रहस्तन मानदण्डों के संदर्भ में क्रेन की मानक क्षमता अलग-अलग परिगणित की गई है। बहु-उद्देशीय कार्गो बर्थ पर तैनात किए गए पोत लदान / माल उतराई उपकरणों के लिए विद्युत / ईंधन लागत के अनुमानन के लिए 2008 के मार्गदर्शियों में प्रदत्त काम के घंटों के मानदंडात्मक स्तर के आधार पर इस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष काम के घंटों की संख्या 4000 मानी गई है।

2008 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों में बहुउद्देशीय बर्थ पर शुष्क बल्क कार्गो के लिए जिसमें खाद्यान्न, उर्वरक, कोयला, चूना पत्थर, खनिज इत्यादि समाविष्ट हैं, 10,000 टन प्रतिदिन की दर का कार्गो प्रहस्तन मानदंड दिया गया है। 2008 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों में प्रदत्त 10000 टन प्रतिदिन का आउटपुट नार्म 20 टन प्रत्येक की क्षमता वाली तीन व्हार्फ (पोतघाट) क्रेनों के संदर्भ से है। चूंकि यहां प्रयास 100 टन क्षमता की एचएमसी के लिए किराया प्रभार प्रदान करने के लिए है, प्रतिदिन प्रहस्तन दर के लिए मार्गदर्शियों में प्रदत्त मानदंड (नार्म) में उपयुक्त समायोजन किया गया है। 2008 के मार्गदर्शियों में पोतघाट क्रेनों की प्रदत्त कुल क्षमता की तुलना में एचएमसी की उच्चतर प्रहस्तन क्षमता को देखते हुए और किसी अन्य उपलब्ध मानदंड के अभाव में, 20-20 टन क्षमता वाली तीन ईएलएल क्रेनों के प्रचालन के लिए प्रदत्त 10,000 टन प्रतिदिन की प्रहस्तन दर में 25% की वृद्धि जोड़ना उचित ही है। ऐसा ही नजरिया पीपीटी और टीपीटी स्थित एमएचसी के किराया प्रभार निर्धारित करने के संबंध में अपनाया गया था।

(viii) पीपीटी में 100 टन एमएचसी के लिए किराया प्रभार के निर्धारण से संबंधित कार्यवाही में, जो इस प्राधिकरण द्वारा दिसंबर 2009 में सम्पन्न की गई थी, पीपीटी द्वारा अनुमानित और इस प्राधिकरण द्वारा मानी गई, दो ग्रेब्स के साथ 100 टन एमएचसी की पूंजी-लागत किराया भाड़ा और ड्यूटियों समेत रू. 3007.74 लाख थी। अनुमानित पूंजीगत लागत को पीपीटी द्वारा प्राप्त किए गए बजटरी कोटेशनों द्वारा पुख्ता किया गया था। संयोगवश, पूंजीगत लागत पर, उस समय की प्रचलित विनिमय दर को अद्यतन करने की शर्त पर, जैसीकि पीपीटी द्वारा अनुमानित की गई थी, इस प्राधिकरण द्वारा टीपीटी पर एमएचसी के किराया प्रभार निर्धारित करने के लिए दिनांक 30 दिसंबर 2009 के आदेश के माध्यम से भरोसा किया गया था। पूंजी लागत पर, जैसीकि पीपीटी प्रकरण में अनुमानित की गई, प्रचलित दर के साथ विनिमय दर अद्यतन करने की शर्त पर भरोसा किया गया है और उस इस विश्लेषण के लिए विचार किया गया है। बजटरी कोटेशन को यूरों में परिवर्तित करने के लिए लागू की गई विनिमय दर, इस प्रकरण में विश्लेषण के समय प्रचलित विनिमय दर को प्रतिबिम्बित करने के लिए रू. 58,2600 तक अद्यतन की गई है। तद्नुसार, एमएचसी की पूंजी लागत रू. 2585.28 लाख परिगणित होती है।

(ix) (क) 2008 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों में एमएचसी के लिए कोई स्पष्ट ईंधन खपत (उपभोग) मानदंड नहीं दिया गया है। 100 टन एमएचसी के लिए पीपीटी द्वारा अनुमानित ईंधन खपत 70 लिटर प्रति घंटा है। विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास (वीपीटी) में एक निजी बल्क टर्मिनल प्रचालक वैज़ाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमि. द्वारा प्रचालित 104 टन एमएचसी की ईंधन खपत 60 लिटर प्रति घंटा दर्शायी गई है।

चूंकि एमएचसी द्वारा ईंधन की खपत के कोई अलग मानदंड उपलब्ध नहीं है, 100 टन क्षमता वाली एमएचसी के लिए पीपीटी और टीपीटी के मामलों में विचारित 70 लिटर्स प्रति घंटा की ईंधन खपत पर, इस विश्लेषण में भी विचार किया गया है । ईंधन की

यूनिट लागत, इस विश्लेषण के समय प्रचलित रू. 38.90 प्रति लिटर विचार की गई है ।

(ख) मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत और बीमा, 2008 के मार्गदर्शियों में प्रदत्त मानदंडों के अनुसार क्रेन की पूंजीलागत का क्रमशः 5% और 1% अनुमानित किया गया है।

(ग) 2008 के मार्गदर्शी, विभिन्न महापत्तनों के दरमानों में प्रदत्त दरों के आधार पर लाइसैंस शुल्क के अनुमानन का अनुबंध करते हैं। 11 मई 2006 के आदेश के माध्यम से मई 2006 में अनुमोदित वीपीटी के प्रचलित दरमान में 100 वर्गमीटर के खुले स्थान के लिए दूसरे सप्ताह और उसके बाद के लिए लाइसैंस शुल्क रू. 90.55 प्रति सप्ताह या असका अंश प्रदत्त है। चूंकि क्रेन एक वर्ष में 4000 घंटे प्रचालित रहेगी, वर्ष में काम के बिना वाली अवधि के लिए लाइसैंस शुल्क रू. 90.55 प्रति 100 वर्गमीटर प्रति सप्ताह विचार किया गया है।

(घ) कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रदत्त दर के अनुसार क्रेन की पूंजी लागत पर 10.34% की दर से मूल्य हास अनुमानित किया गया है।

(ङ) अन्य व्यय, 2008 के मार्गदर्शियों में प्रदत्त मानदंडों के अनुसार क्रेन की पूंजी लागत के 5% पर अनुमानित किए गए हैं।

(x) इस प्राधिकरण ने, वर्ष 2010-11 के दौरान निर्णित किए जाने वाले प्रशुल्क प्रकरणों के लिए 16% पर आरओसीईई अपनाया है जिस पर एमएचसी के लिए किराया प्रभार परिगणित करने के लिए विचार किया गया है। प्रतिलाभ (रिटर्न) एमएचसी के औसत रिटर्न डाउन वैल्यू (लिखित मूल्य) पर तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुमत की जाती है। यह प्रतिलाभ रू. 328.16 लाख परिगणित होता है।

(xi) एचएमसी प्रचालन की कुल अनुमानित वार्षिक राजस्व आवश्यकता रू. 988.74 लाख है जो क्रेन की प्रचालन लागत रू. 660.64 लाख और 16% प्रतिलाभ रू. 328.10 लाख का योग है। जैसाकि पहले बताया गया है, एचएमसी के किराया प्रभार की गणना व्यापक कार्गो समूहों के लिए उनकी अलग-अलग मानक क्षमता के संदर्भ से की गई है।

(xii) 2008 के प्रशुल्क मार्गदर्शी स्टील और थैलाबंद कार्गो तथा अन्य कार्गो जैसे ब्रेक बल्क कार्गो के लिए दर-निर्धारण के लिए भी मानदंड प्रदान करते हैं। 20-20 टन क्षमता की 3 ईएलएल क्रेनें लगाकर ये स्टील और थैलाबंद कार्गो के लिए 4000 टन प्रतिदिन और अन्य कार्गो के लिए 2500 टन प्रतिदिन की प्रहस्तन दर प्रदान करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, मार्गदर्शियों में प्रदत्त आउट-पुट नार्म्स 20-20 टन क्षमता की तीन पोतघाट क्रेनों के प्रचालन के संदर्भ से हैं जबकि यहां कवायद 100 टन एचएमसी के लिए किराया प्रभार प्रदान करने के लिए है। इसके साथ यहां यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि क्रेन से, क्रेन में ग्रेब्स लगाए बिना अन्य कार्गो भी प्रहस्तित किया जा सकता है। इसलिए, मार्गदर्शियों में प्रदत्त प्रहस्तन दर को उपरोक्त अवयवों को मान्य करने हेतु अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है।

जैसाकि पारादीप पत्तन न्यास और तूतीकोरिन पत्तन न्यास स्थित एमएचसी के किराया प्रभार तय करने से संबंधित मामले में निर्णय लिया गया था, स्टील एवं थैलाबंद कार्गो तथा अन्य बल्क कार्गो के लिए मार्गदर्शियों में प्रदत्त प्रहस्तन दर पर 50% की वृद्धि जोड़ी गई है। तद्नुसार, स्टील एवं थैलाबंद कार्गो के लिए 6000 टन प्रतिदिन का और अन्य कार्गो के लिए 3750 टन प्रतिदिन की अद्यतन मानदंडीय प्रहस्तन दर पर इस विश्लेषण में विचार किया गया है।

इस समायोजित मानदण्डों और एक वर्ष में क्रेन के 4000 काम के घंटों का अनुपालन करते हुए जैसाकि 2008 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों में प्रदत्त है और 70% उपयोगिता अवयव को ध्यान में रखते हुए एचएमसी के उपयोग के लिए प्रतिटन दर शुष्क बल्क कार्गो के लिए रू. 33.23 प्रतिटन, स्टील एवं थैलाबंद कार्गो के प्रहस्तन के लिए रू. 69.24 प्रतिटन और अन्य कार्गो के लिए रू. 110.85 प्रतिटन परिगणित होती है ताकि अलग-अलग कार्गो समूहों के लिए कुल रू. 988.78 लाख की अनुमानित वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्राप्त की जा सके।

(xiii) एचएमसी के उपयोग के लिए वीपीटी द्वारा पेश की गई विवरणी को उपरोक्त विश्लेषण के अनुरूप संशोधित किया गया है। संशोधित विवरणी की एक प्रति **संलग्नक** के रूप में दी गई है।

(xiv) मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शी की धारा 4.3 तटीय कार्गो के लिए रियायती प्रशुल्क प्रदान करने का अनुबंध करती है। कथित धारा आगे व्यवस्था करती है कि समस्त तटीय कार्गो के लिए, कच्चे तेल, लौह अयस्क और लौह अयस्क गुटिकाओं समेत थर्मल कोल और पीओएल को छोड़कर कार्गो संबंधी प्रभार सामान्य कार्गो संबंधी प्रभारों के 60% से अधिक नहीं होना चाहिए।

वीपीटी ने इस आधार पर एचएमसी का उपयोग करते हुए कार्गो के पोत से तट और विपरीत क्रम में अन्तरण के लिए तटीय कार्गो के रियायती प्रशुल्क का प्रस्ताव नहीं किया है कि क्रेन को प्रमुख रूप से विदेशी कार्गो और थर्मल कोल एवं लौह अयस्क कार्गो के प्रहस्तन के लिए लगाया जाएगा जिस पर 60% वाली तटीय रियायत लागू नहीं होगी। पत्तन ने, साफ-साफ, यह भी घोषित कर दिया है कि कोई अन्य तटीय कार्गो प्रहस्तित नहीं किया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए पत्तन ने तर्क दिया है कि यदि क्रेन को तटीय कार्गो का प्रहस्तन करने की आवश्यकता पड़ी तो आपूर्तिकर्त्ता को देय रू. 29.75 प्रतिटन की मूल लागत उस तटीय कार्गो पर लगायी जाएगी।

कार्गो संबंधी प्रभारों और, पोत संबंधी प्रभारों में तटीय कार्गो / कंटेनर / पोतों पर रियायती प्रशुल्क प्रदान करना केन्द्र सरकार में तत्कालीन नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमएसआरटीएच) द्वारा इस प्राधिकरण को जारी किया गया नीति निर्देश है जो 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों में सम्मिलित किया गया है। अतः इस प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त दरें नीति निर्णयों को, अवश्यमेव, प्रतिबिम्बित करने के लिए हैं, फिर कोई भी व्यक्ति ऐसी दरें लगाने जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि व्यापार-जगत के संबंधित भाग को घोषित लाभ मिलना चाहिए।

रू. 988.74 लाख की अनुमानित वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रहस्तित विदेशी और तटीय कार्गो से उगाही जाएगी। ऐसी स्थिति में तटीय कार्गो के प्रहस्तन के लिए एचएमसी की अनुमानित क्षमता के भाग को और विदेशी कार्गो प्रहस्तन के लिए दर में उपयुक्त समायोजन को ध्यान में रखते हुए रियायती दरों को निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

तटीय कार्गो प्रहस्तन हेतु एचएमसी की क्षमता के भाग से संबंधित सूचना के अभाव में और मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 4.3 का अनुपालन करने के लिए तटीय दर सामान्य कार्गो के लिए प्रदत्त दर के 60% पर प्रदान की जाती है । फिर भी, यदि तटीय कार्गो के लिए प्रदत्त रियायती प्रशुल्क का इस विश्लेषण में विचारित अनुमानित राजस्व मॉडल पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वीपीटी के पास विकल्प खुला है कि वह दरों में समायोजन के लिए उपयुक्त प्रस्ताव लेकर आए।

(xv) इस विश्लेषण में, 100 टन एचएमसी क्रेन के लिए परिगणित किराया प्रभार 2008 के मार्गदर्शियों में प्रदत्त प्रहस्तन मानदंडों को अपनाते हुए विभिन्न कार्गो समूहों के प्रहस्तन के लिए निष्पादन के संदर्भ से है। जैसाकि यह संभव है कि वास्तविक निष्पादन इस गणना में माने गए मानक से भिन्न हो सकता है, निष्पादन स्तरों से जुड़े प्रशुल्क प्रदान करना आवश्यक हो गया है। संयोगवश, 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 5.9 भी उत्पादकता के मानकचिह्न स्तर से प्रशुल्क को जोड़ने की सिफारिश करती है ताकि उससे बेहतर निष्पादन के लिए प्रोत्साहन (ईनाम) दिया जा सके और मानक-चिह्न स्तर से कम निष्पादन के लिए डिस्इन्सेंटिव (जुर्माना) लगाया जा सके। निष्पादनता से जुड़ा प्रशुल्क सेवा प्रदाता को ऊंची निष्पादनता के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और घटिया निष्पादनता के लिए दंड दिया जा सकेगा।

पीपीटी और टीपीटी से संबंधित प्रकरण में अपनाए गए मॉडल के आधार पर एक प्रोत्साहन / जुर्माना योजना इस प्रकरण में भी अपनायी गई है। प्रशुल्क की गणना के लिए कल्पित मानक उत्पादकता स्तर को आधार स्तर माना गया है। तदनुसार, निष्पादनता से जुड़ी प्रशुल्क संरचना प्रदान की गई है जिसके अन्तर्गत यदि निष्पादनता मानक चिह्न (बेंचमार्क) स्तर से 1000 टन अधिक अर्जित की जाती है तो मूल दर में 5% की वृद्धि के द्वारा पुरस्कार (प्रोत्साहन) दिया जाएगा और यदि निष्पादनता मानक चिह्न स्तर से 1000 टन कम अर्जित की जाती है तो मूल दर में 5% की कटौती के रू प में डिस्इन्सेन्टिव (दंड) प्रदान किया जाएगा।

निष्पादनता से जुडे प्रशुल्क से निजी सेवा प्रदाताओं को उच्चतर दक्षता स्तर बनाए रखने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वे प्रदत्त उच्चतर दरों के कारण अपने प्रतिलाभ में वृद्धि कर सकें। इस तरह के दक्षता सुधार से, पोत की तीव्रतर वापसी के कारण उपयोगकर्त्ताओं को भी लाभ पहुंचेगा। जैसा कि पहले बताया गया है, चालू किए गए निष्पादनता से जुड़े प्रशुल्क के स्लैब किसी भली भांति विश्लेषित डाटा पर आधारित नहीं है । अतः वीपीटी को सलाह दी जाती है कि वह इस मद की अगली प्रशुल्क समीक्षा के समय अधिक वैज्ञानिक इन्सेन्टिव / डिस्इन्सेन्टिव योजना तैयार करे।

(xvi) 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों में 3-3 वर्ष की प्रशुल्क वैधता की व्यवस्था की गई है। तद्नुसार, इस प्राधिकरण द्वारा क्रेन के लिए तय किए गए किराया प्रभार इस आदेश के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे।

(xvii) चूंकि तय किया गया प्रशुल्क उत्पादकता स्तर से जुड़ा है, अस्पष्टता से बचने के लिए यह जरू री है कि शर्तों को परिभाषित / स्पष्ट किया जाए। पीपीटी ने एमएचसी के किराया प्रभार तय करने के लिए अपने प्रस्ताव में एमएचसी के औसत बर्थ दिवस आउटपुट की परिगणना के लिए फार्मूला प्रस्तावित किया था। इसने एक घंटे से अधिक समय तक एमएचसी खराब होने की

स्थिति में निष्पादनता मापने एमएचसी के प्रचालन रोकने क्रेन के खराब हो जाने / काम न करने के कारण पोत को स्थलान्तरित करने की स्थिति में जुर्माना इत्यादि के लिए प्रावधान भी प्रस्तावित किए थे, जो वीपीटी के मामले में भी उपयुक्त हैं। यह नोट करने योग्य है कि पीपीटी के मामले में प्रदत्त सशर्तताएं टीपीटी मामले में भी डाली गई थीं और एनएमपीटी के मामले में डाले जाने के लिए भी प्रस्तावित हैं। अतः पीपीटी और टीपीटी मामलों में प्रदत्त सशर्तताओं को वीपीटी के मामले (प्रकरण) में भी डाला गया है। यदि वीपीटी को लगता है कि उसके पत्तन में एमएचसी के प्रचालन से संबंधित/ प्रासंगिक कोई और शर्त है या, उसे लगता है कि इस प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त शर्तें उसके मामले में प्रासंगिक नहीं हैं तो वह एक उपयुक्त प्रस्ताव कर सकता है।

8. परिणाम स्वरू प, और ऊपर दिए हुए कारणों के लिए और समग्र विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान में खंड 5-यान / उपकरण किराए पर लेने के लिए प्रभार के अन्तर्गत अनुसूची 5.1.3 - हार्बर मोबाइल क्रेन के किराया-प्रभार में शामिल किए जाने के लिए निम्नलिखित को अनुमोदित करती है :-

''5.1.3 निजी प्रचालकों द्वारा संस्थापित हार्बर मोबाइल क्रेनों (एचएमसी) के उपयोग के लिए प्रभार :

(i) शुष्क बल्क कार्गो के लिए :-

औसत दैनिक क्रेन निष्पादनता (मीटरिक टन में)	**उच्चतम दर प्रति टन (रू . में)**	
	विदेशी	**तटीय**
9500-10499	28.25	16.95
10500-11499	29.91	17.95
11500-12499	31.57	18.94
12500	33.23	19.94
12501-13500	34.89	20.94
13501-14500	36.55	21.93
14501-15500	38.21	22.93

टिप्पणी: बढ़ती हुई उच्चतम दरों की गणना करने के लिए, जैसाकि ऊपर दिखाया गया है, पहले एक हजार टनों के लिए आधार (मूल) दर बढ़ाकर 105% की गई थी और दूसरे हज़ार टनों के लिए आधार दर को बढ़ाकर 110% किया गया था। तीसरे हज़ार के लिए दरें, आधार दर को 115% बढ़ाकर परिगणित किया गया था। यही कार्यविधि 15500 टनों से आगे की दरों की गणना के लिए अपनाई जाएगी । इसी प्रकार 9500 से नीचे की निष्पादनता के लिए उच्चतम दरें आधार दर को, तद्नुसार कम करके परिगणित की जाएगी।

(ii) ब्रेक बल्क कार्गो के लिए

(क) स्टील एवं थैलाबंद कार्गो

औसत दैनिक क्रेन निष्पादनता (मीटरिक टन में)	**उच्चतम दर प्रति टन (रू . में)**	
	विदेशी	**तटीय**
5000-5999	65.78	39.47
6000	69.24	41.25
6001-7000	72.70	43.63

टिप्पणीः बढ़ती हुई उच्चतम दरों की गणना करने के लिए, जैसाकि ऊपर दिखाया गया है, पहले एक हज़ार टनों के लिए आधार (मूल) दर बढ़ाकर 105% की गई थी। यही कार्य विधि 7000 टनों से आगे की दरों की गणना के लिए अपनायी जाएगी। इसी प्रकार, 5000 टनों से नीचे की निष्पादनता के लिए उच्चतम दरें आधार दर को, तदनुसार कम करके परिगणित की जाएगी।

(ख) अन्य

औसत दैनिक क्रेन निष्पादनता (मीटरिक टन में)	**उच्चतम दर प्रति टन (रू. में)**	
	विदेशी	**तटीय**
2750-3749	105.31	63.18
3750	110.85	66.51
3751-4750	116.39	69.84

टिप्पणीः बढ़ती हुई उच्चतम दरों की गणना करने के लिए, जैसाकि ऊपर दिखाया गया है, पहले एक हज़ार टनों के लिए आधार (मूल) दर बढ़ाकर 105% की गई थी। यही कार्यविधि 4750 टनों से आगे की दरों की गणना के लिए अपनायी जाएगी। इसी प्रकार, 2750 टनों से नीचे की निष्पादनता के लिए उच्चतम दरें, आधार दर को तदनुसार कम करके परिगणित की जाएगी।

टिप्पणीः

(i) औसत बर्थ-दिवस आउटपुट की गणना के लिए फार्मूला निम्नानुसार है :-

एचएमसी द्वारा लादी / उतारी गई कुल मात्रा

-- X 24 घंटे

पोत की शुरुआत से प्रचालन पूरा होने के लिया गया कुल समय

(ii) पोत पर से कार्गो के लादने / उतराई का प्रचालन आरंभ होने से अंत तक औसत बर्थ-दिवस आउटपुट के अनुसार, पत्तन उपयोगकर्त्ताओं से लादे / उतारे गए कार्गो की पूरी मात्रा के लिए, वसूली के लिए क्रेन के किराया प्रभार की समुचित दर का चयन किया जाएगा।

(iii) यदि एक एचएमसी दूसरे एचएमसी अथवा ईएलएल क्रेनों / क्रेन के साथ मिलकर काम करती है तो क्रेन का बर्थ-दिवस आउटपुट, एचएमसी के लोड-मीटर द्वारा रिकार्ड की गई मात्रा के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी।

(iv) यदि क्रेन में, पोत के बर्थ छोड़ने तक घंटे से अधिक समय के लिए खराबी आ जाती है तो एचएमसी द्वारा प्रहस्तित मात्रा का निर्धारण, खराबी से पहले लादे / उतारे गए कार्गो को हिसाब में लेते हुए उसे क्रेन के काम के घंटों से विभाजित करके, भागफल को 24 से गुणा करके निर्धारित किया जाएगा।

(v) यदि क्रेन का प्रचालन लगातार दो घंटे से अधिक तक रुका रहता है जिसके लिए एचएमसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता तो पोत में क्रेन प्रचालन के कुल समय की गणना करते समय क्रेन को समुचित छूट दी जाएगी। 2 घंटे से कम अवधि के लिए एचएमसी के रुकने पर उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यदि रुकावट के लिए एचएमसी जिम्मेदार होगी तो कोई छूट नहीं दी जाएगी । एचएमसी के कार्य करने के दौरान लदान / उतराई

प्रचालन में सभी रूकावटों को दैनिक पोत निष्पादन रिपोर्ट में पोत के स्टीवेडोर द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता है।

(vi) यदि एचएमसी के खराब होने / काम न करने के कारण पोत को स्थलान्तरित करना आवश्यक हो जाता है तो रू. 1,00,000/- (एक लाख रूपये मात्र) के जुर्माने के अलावा, पोत को बर्थ से लंगरगाह तक स्थानान्तरित करने का प्रभार क्रेन प्रचालक से वसूल किया जाएगा। इस तरह वसूल किए गए स्थानान्तरण प्रभार पोत के एजेन्ट को लौटाए जाएंगे जबकि जुर्माने की राशि पत्तन द्वारा अपने पास रखी जाएगी।

(vii) औसत आउटपुट पर विवाद होने के मामले में, पत्तन न्यास का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

9. अब निर्धारित की गई उच्चतम दरें इनकी भारत का राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से 15 दिन बीतने के बाद प्रभाव में आएंगी और तीन वर्षो के लिए वैध रहेंगी।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

संलग्न

विशाखा पत्तनम पत्तन न्यास में प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त 100 टन क्षमता वाली हार्बर मोबाइल क्रेन के उपयोग के लिए दर तय करने हेतु लागत विवरणी

क. शुष्क ब्लक कार्गो के लिए **लाख रूपये में**

		जैसा विशाखा पत्तनम पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।		**2008 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों में प्रदत्त मानक, यदि कोई हो, (बहुउद्देशीय कार्गो पोतघाट)**	**परिष्कृत गणनाएँ**	
क्र.सं.	**विवरण**	**कार्यसंचालन**			**कार्यसंचालन**	**शुष्क बल्क के लिए (क) खाद्यान, उर्वरक (ख) कोयला, चूना पत्थर, खनिज इत्यादि**
I	मोबाइल हार्बर क्रेन की लागत (लाख रूपयों में		0			2585.28
II	(क) वीपीटी द्वारा परिगणित क्षमता (पाली / घंटे प्रतिवर्ष के रू प में)					
	प्रतिवर्ष उपलब्ध पालियाँ		0			
	सरकारी मार्गदर्शियों के अनुसार उपलब्धता के मानदंड		0			
	प्रतिवर्ष पालियों में क्षमता		0			
	क्षमता घंटे / प्रतिवर्ष के रू प में		0			
	(ख) क्षमता टन / प्रतिवर्ष में, प्राधिकरण द्वारा परिगणित					
	प्रहस्तन दर प्रति घंटा (टनों में)			शुष्क बल्क के लिए क) खाद्यान, उर्वरक =10000 टन / दिन (30,000 टन पार्सल साइज) से बड़े पोतों के लिए) ख) कोयला, चूना पत्थर, खनिज इत्यादि =10000 टन / दिन	मार्गदर्शियों में प्रदत्त प्रहस्तन मानदंड से ऊपर 25% अर्थात 12500/24 घंटे * 70%)	744
	प्रतिवर्ष काम के घंटे			बिजली/ईंधन की लागत का अनुमान लगान हेतु एक वर्ष में 4000 काम के घटों का मानक दिया गया है ।		4000
	वार्षिक क्षमता (टनों में)					**2976000**
	वार्षिक क्षमता (10 लाख टनों में)					**2.976**
III	परिवर्तनी लागत जैसा कि पत्तन द्वारा अनुमानित हो		लाख रू.. में			लाख रू.. में
	(i) रू . 29.75 प्रति टन की दर से प्रहस्तित 2 मीटरिक टन कार्गो का किराया प्रभार	2000000 * 29.75	29.75			निरंक
	(ii) आश्वस्त कार्गो से ऊपर प्रहस्तित कार्गो में गिरावट को समाहित करने के लिए ऊपर (i) से अधिक पर 10% जोखिम अवयव	10%*29.75	2.98			निरंक
	(iii) टीएम विभाग के कर्मचारियों की लागत	5031479	2.52			निरंक
	(iv) ऊपर (iii) पर 31.04% की दर से एमजीए लागत	31.04%* 5031479	0.78			निरंक
	(v) अभियांत्रिकी ऊपरी व्यय	4461023	2.23			निरंक
	कुल परिवर्तनीय लागत		38.25			
	(vi) कुल परिवर्तनीय लागत पर 4% की दर से सम्पत्ति कर		1.53			निरंक
	(vii) लागत प्रति टन प्रति क्रेन		39.78			निरंक
	दर प्रतिटन प्रस्तावित		39.75			
IV	प्रचालन लगात					**लाख रू.में**
	(क)ईंधन लागत	पत्तन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई	0		70 लि./ घंटा * रू. 38.90 प्रति लि. *4000 घंटा	108.92
	(ख) मरम्मत और अनुरक्षण लागत	पत्तन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई	0	मशीनी उपकरण की लागत दर 5%	रू. 2585.29 लाख का 5%	129.26
	(ग) बीमा	पत्तन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई	0	मशीनी उपकरण की लागत दर 1 %	रू. 2585.29 लाख का 1%	25.85
	(घ) मूल्य हास	पत्तन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई	0	कम्पनी अधिनियम में प्रदत्त मानकों के अनुसार	रू. 2585.29 लाख का 10.34%	267.32
	(ड.) किराया (लाइसैंस शुल्क)	पत्तन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई	0	संबंधित पत्तन के दरमान के अनुसार	रू. 90.55 प्रति 100 स्क्वे. .मी.प्रति सप्ताह	0.03
	(च) अन्य व्यय	पत्तन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई	0	सकल अचल परिसंपतियों के मूल्य का 5%	रू. 2585.29 लाख * 5%	129.26
	-सुरक्षा प्रभार					
	-वेतन तथा अन्य					
	पत्तन सुरक्षा तथा अन्य व्यय					

	योग (क) से (च)					
	कुल प्रचालन लागत (क) से (च) तक					**660.64**
V	आरओसीई			नियोजित पूंजी का 16%	रू. 2050.65 लाख का 16%	328.10
VI	कुल लागत + निवेश पर प्रति लाभ					988.74
VII	किराया प्रभार प्रति पाली					
VIII	किराया प्रभार प्रति टन विदेश में				रू. 988.74 लाख / 2.976 मिलि. टन	33.23
IX	प्रति टन किराया प्रभार (तटीय)				रू. 33.23 का 60%	19.94

(ख) ब्रेक बल्क कार्गो के लिए

क्र.सं.	विवरण	कार्य संचालन	स्टील और थैला बंद कार्गो	अन्य
I	मल्टीपर्पस कार्गो टर्मिनल के लिए अपफ्रंट टेरिफ गाइडलाइन्स 2008 में निर्धारित नियमों के 50% से अधिक कार्गो प्रहस्तन दर टन / दिन में		6000	3750
II	कार्गो प्रहस्तन दर (टन / प्रति दिन में)	क्रम सं. I (24 घं.* 70% उपयोगिता मानक)	357.00	223
III	प्रति वर्ष काम के घंटे		4000	4000
IV	क्षमता (टन/ वर्ष)	क्रम सं.II * III	1428000	892000
V	कुल लागत + प्रति लाभ जैसा पहली सारणी में क्रम सं. V पर अनुमान लगाया गया है (लाख रूपये में)		988 .74	988.74
VI	प्रति टन किराया प्रभार (विदेशगामी) रू. / टन में	क्रम सं. V/IV	69.24	110.84
VII	प्रति टन किराया प्रभार (तटीय) रू. / टन में	क्रम सं. VI का 60%	41.54	66..51

टिप्पणी : नियोजित पूंजी के लिए गणना-ब्यौरा

एचएमसी का सकल मूल्य — रू . 2585.29 लाख

कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मूल्य हास की दर — 10.34%

	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3
वर्ष के आरंभ में एचएमसी का मूल्य	2585.28	2317.96	2050.64
मूल्यहास	267.32	267.32	267.32
वर्ष के अंत में लिखा गया मूल्य	2317.96	2050.64	1783.32
औसत लिखित मूल्य		2050.64	